



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 707) पटना, बुधवार, 1 जुलाई 2026

सं०सं० 5(स0)/बियाडा (भू0 अधि0 सहरसा)-33/2025-3168
उद्योग विभाग

संकल्प

24 जून 2026

विषय:- सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल- कहरा, मौजा-वनगाँव, देवनागोपाल, तथा बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग के निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3801 दिनांक-14.08.2025 में संशोधन करते हुए सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल- कहरा मौजा-वनगाँव, थाना नं०-137, मौजा-देवनागोपाल, थाना नं०-140, 141 एवं 142 में कुल रकबा- 420.625 एकड़ के भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल- कहरा मौजा-वनगाँव, थाना नं०-137, मौजा-देवनागोपाल, थाना नं०-140, 141 एवं 142 तथा मौजा-बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) थाना नं०-143 में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-13.08.2025 को मद संख्या-23 के रूप में स्वीकृति के आलोक में उद्योग विभाग का संकल्प ज्ञापांक-3801 दिनांक-14.08.2025 निर्गत है।

2. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) की कार्यवाही के अन्तर्गत लोक सुनवाई में ग्रामीणों द्वारा उठाये गये आपत्ति के निराकरण के क्रम में पूर्व में चयनित भूमि एलाईमेंट में परिवर्तन संसूचित किया गया।

3. उक्त के आलोक में समाहर्ता, सहरसा के पत्रांक-412-2/भू0अ0 एवं आयडा, पटना के पत्रांक-1643/LD दिनांक-06.05.2026 के अनुसार सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल-कहरा, मौजा-वनगाँव, देवनागोपाल, तथा बलहर अराजी (उर्फ भेलवा) में कुल रकबा 420.62786 एकड़ भूमि का अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग के निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3801 दिनांक-14.08.2025 में संशोधन करते हुए सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल-कहरा मौजा-वनगाँव, थाना नं0-137, मौजा-देवनागोपाल, थाना नं0-140, 141 एवं 142 में कुल रकबा-420.625 एकड़ के भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू0 88,01,13,847.00 (रुपये अठासी करोड़ एक लाख तेरह हजार आठ सौ सैंतालीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त भूमि के अधिग्रहण से औद्योगिक क्षेत्र के विकास होगा जिससे विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों का पलायन भी रुकेंगा तथा नये शहरी क्षेत्रों का भी विस्तार होगा

5. भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की निकासी माँग संख्या-23, मुख्यशीर्ष-4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष-050-भूमि, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या-23-4885020500101 विषय शीर्ष-0101-53-02 भू-अर्जन मद से बजट उपबंध के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

6. उपर्युक्त कंडिका -03 पर दिनांक-17.06.2026 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रेरणा सिंह,
सरकार के उप सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 707-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**